

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2898] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/ श्रावण 5, 1940 No. 2898] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का. आ. 3684(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 जुलाई, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 5; और
2.	धारा 6

[फा.सं. 1/1/2018-सीएल.I] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

4338 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

S.O. 3684(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the day of 27^{th} July, 2018 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Sl.No.	Sections
1.	Section 5; and
2.	Section 6

[F. No. 1/1/2018-CL.I] K.V.R. MURTY Jt. Secy.